राज्यातील मानसिक आरोग्याशी संबंधित आरोग्य संस्थामधील एकूण ३२४ अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग

शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-१०२४/प्र.क्र.३३८/आरोग्य-३अ,

१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. दिनांक: ०२ डिसेंबर, २०२४.

वाचा :-

- 9) अति.संचालक (मानसिक आरोग्य) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/माआ/टे-४/अस्थाई पदे/सन २४-२५/२१६६-७३/२४, दि, २२.०७.२०२४
- २) सहसंचालक (अ. व प्र.), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/आस्था/कक्ष-५/टे-७/अस्थायी पदे/२८८०-८९/२४, दिनांक ०९.०९.२०२४
- ३) शासन निर्णय ,वित्त विभाग, क्र.पदनि- २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक- ०६.०९.२०२४
- ४) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. अपदे-२०२४/प्र.क्र.१३०/आरोग्य-३अ, दिनांक २३.०४.२०२४

शासन निर्णय :-

उपरोक्त वाचा क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील मानसिक आरोग्याशी संबंधित आरोग्य संस्थामधील एकूण ३२४ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ दि.३१.०८.२०२४ रोजी संपुष्टात आल्याने आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने उपरोक्त वाचा क्र. १ व २ येथील पत्रान्वये सदरहु ३२४ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे.

२. या शासन निर्णयान्वये राज्यातील मानसिक आरोग्याशी संबंधित आरोग्य संस्थामधील सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविलेल्या ३२४ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. आयुक्तालय, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी सर्व पदांचा आढावा घेऊन सुधारीत आकृतीबंध

शासन मान्यतेकरीता तात्काळ सादर करावा. यानंतर सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याकरीता वारंवार कालावधी वाढवून मिळणार नाही, याची नोंद घ्यावी.

३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२४-२५ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

| अ.क्र. | लेखाशिर्ष | | |
|--------|--|--|--|
| 9 | मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष "२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- | | |
| | नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११० (६)- मनोरुग्णालये | | |
| | (२२१० ०२१७)" ०१- वेतन | | |
| 2 | मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष "२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- | | |
| | नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, १९०- रुग्णालये व दवाखाने, (०५) (०९)- | | |
| | मनोरुग्णालये (२२१० ०२१७)" ०१-वेतन | | |

- ४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक- ०६.०९.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
- ५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u>या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१२०२१४३२१६८९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(अ. भि. मोरे) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर.
- २. आयुक्त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई.
- ३. अति.संचालक (मानसिक आरोग्य), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई.
- ४. सह संचालक (अ. व प्र.), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई.

- ५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळ (ठाणे, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर व लातूर)
- ६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, (ठाणे, पुणे, नागपूर, रत्नागिरी व बीड)
- ७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, (ठाणे, पुणे, नागपूर, रत्नागिरी व बीड)
- ८. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई
- ९. अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई.
- १०. निवडनस्ती (आरोग्य-३अ)

<u>परिशिष्ट-अ</u>

(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अस्थाप-१०२४/प्र.क्र.३३८/आरोग्य-३अ, दिनांक - ०२ डिसेंबर, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र)

| अ. | आरोग्य संस्थेचे नाव | एकूण मंजूर | स्थायी पदे | अस्थायी पदे |
|------|---|------------|------------|---|
| क्र. | | पदे | | (पदनाम व पदांची संख्या) |
| ٩ | आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील अस्थायी पद | 9 | _ | सहाय्यक संचालक (मा.आ)) एकूण पदे – १ |
| 2 | प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर | 304 | 394 | 9)मनोविकृती चिकित्सक-9, २) वैद्यकिय अधिकारी-२, ३) वरिष्ठ लिपिक-9, ४) व्यवसाय उपचार तज्ञ-9, ५) परिसेविका-२, ६) अधिपरिचारीका-८, ७) प्रमुख पुरुष/स्त्री परिचर-9, ८) प्रथमश्रेणी परिचर-५, ९) पुरुष/स्त्री परिचर-३६, १०) स्वयंपाकी-३ एकूण पदे-६० |
| 3 | प्रादेशिक मनोरुग्णालय, डाणे | ७२३ | ५८९ | 9) मनोविकृती चिकित्सक,गट अ-9, 2) वैद्यकिय अधिकारी-४, 3) व्यवसाय उपचार तज्ञ-२, ४) मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता-२, ५) औषधनिर्माता-9, ६) वरिष्ठ लिपिक-9, ७) कनिष्ठ लिपिक-४, ८) वाहन चालक-9, ९) मनोरुग्ण तज्ञ परिचारीका-५, |

| अ. | आरोग्य संस्थेचे नाव | एकूण मंजूर | स्थायी पदे | अस्थायी पदे |
|------|------------------------|------------|------------|--|
| क्र. | | पदे | | (पदनाम व पदांची संख्या) |
| | | | | १०) परिसेविका-४, |
| | | | | ११) अधिपरिचारीका-१८, |
| | | | | १२) पुरुष परिचर श्रेणी एक-६, |
| | | | | १३) स्त्री परिचर श्रेणी एक-५, |
| | | | | १४) पुरुष परिचर-४०, |
| | | | | १५) स्त्री परिचर-३२, |
| | | | | १६) लॉ ण्ड्रीचालक-७, |
| | | | | १७) नाभीक-१ |
| | | | | एकूण पदे-१३४ |
| 8 | प्रादेशिक मनोरुग्णालय, | ९५४ | ८७९ | १) वैद्यकिय अधिकारी, गट अ-५, |
| | पुणे | | | २) मनोविकृती तज्ञ परिचारीका, गट क -६, |
| | | | | ३) परिसेविका, गट क-५, |
| | | | | ४) व्यवसाय उपचार तज्ञ, गट क-२, |
| | | | | ५) मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता,गट क- |
| | | | | ₹, |
| | | | | ६) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, गट क-१, |
| | | | | ७) अधिपरीचारीका, गट क-२०, |
| | | | | ८) वरिष्ठ लिपिक, गट क-३, |
| | | | | ९) कनिष्ठ लिपिक, गट क-५, |
| | | | | १०) प्रमुख पुरुष/स्त्री परिचर,गट क-२, |
| | | | | ११) वाहन चालक,गट क-१, |
| | | | | १२) पुरुष/स्त्री परिचर श्रेणी एक, गट ड - |
| | | | | 94, |
| | | | | १३) स्वंयपाकी, गट ड-७, |
| | | | | १४) शिपाई, गट ड-१ |
| | | | | एकूण पदे -७५ |
| 4 | प्रादेशिक मनोरुग्णालय, | 988 | 980 | १) परिसेविका-१, |
| | रत्नागिरी | | | २) अधिपरिचारीका-१, |
| | | | | ३) पुरुष/स्त्री परिचर श्रेणी एक-२ |

| अ. | आरोग्य संस्थेचे नाव | एकूण मंजूर | स्थायी पदे | अस्थायी पदे |
|------|---------------------|------------|------------|---|
| क्र. | | पदे | | (पदनाम व पदांची संख्या) |
| | | | | एकूण पदे-४ |
| ξ | वृध्दत्व आरोग्य व | 40 | 00 | १) वैद्यकीय अधिक्षक, गट-अ-१ |
| | मानसिक आजार केंद्र, | | | २) वैद्यकीय अधिकारी (शस्त्रक्रिया तज्ञ), |
| | अंबेजोगाई जि. बीड | | | (निवासी शल्य चिकित्सक), गट-अ-१ |
| | (१०० खाटांचे) | | | ३) वैद्यकीय अधिकारी (स्त्री रोग व प्रसुती |
| | | | | तज्ञ), (निवासी वैद्यकीय अधिकारी), गट-अ- |
| | | | | 9 |
| | | | | ४) वैद्यकीय अधिकारी (बधीरीकरण शास्त्रज्ञ) |
| | | | | ,गट-अ-२ |
| | | | | ५)वैद्यकीय अधिकारी (भिषक |
| | | | | शास्त्रज्ञ),निवासी वैद्यकीय अधिकारी), गट- |
| | | | | अ–9 |
| | | | | ६)चिकित्सालयीन सहायक मानसोपचार |
| | | | | तज्ञ, गट-अ-१ |
| | | | | ७) वैद्यकीय अधिकारी (अस्थिव्यंग्य तज्ञ) |
| | | | | गट-अ-१ |
| | | | | ८) वैद्यकीय अधिकारी (नेत्रशल्य |
| | | | | चिकित्सक), (वैद्यकीय अधिकारी फिरते |
| | | | | नेत्रोपचार पथक), गट-अ-१ |
| | | | | ९) वैद्यकीय अधिकारी (अपघात कक्ष), |
| | | | | (अपघात वैद्यकीय अधिकारी) गट-ब-४ |
| | | | | १०) दंत शल्य चिकित्सक, गट-ब-१ |
| | | | | ११) वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब-१ |
| | | | | १२) कार्यालयीन अधिक्षक, गट-क-१ |
| | | | | १३) प्रशासकीय अधिकारी, गट-क-१ |
| | | | | १४) सहायक अधिसेविका, गट-ब-१ |
| | | | | १५) परिसेविका-५ |
| | | | | १६) अधिपरिचारीका-११ |
| | | | | १७) वरिष्ट लिपिक, गट-क-१ |
| | | | | १८) कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक, गट-क-१ |
| | | | | |

| अ. | आरोग्य संस्थेचे नाव | एकूण मंजूर | स्थायी पदे | अस्थायी पदे |
|--------|---------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| क्र. | | पदे | | (पदनाम व पदांची संख्या) |
| | | | | १९) रक्तपेढी तंत्रज्ञ, गट-क-१ |
| | | | | २०) औषध निर्माण अधिकारी, गट-क-१ |
| | | | | २१) भांडार तथा वस्त्रपाल, गट-क-१ |
| | | | | विशेष कक्षातील पदे |
| | | | | मनोविकृती चिकीत्सा कक्षातील पदे- |
| | | | | २२) मानसोपचार तज्ञ, गट-अ-१ |
| | | | | २३) मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता, गट- |
| | | | | क-१ |
| | | | | २४) मनोविकृती परिचारिका, गट-क-२ |
| | | | | २५) समोपदेष्टा-१ |
| | | | | २६) परिसेविका, गट-क-१ |
| | | | | २७) अधिपरिचारिका, गट-क-३ |
| | | | | अपंग पुनर्वसन केंद्रासाठी पदे |
| | | | | २८) आक्युपेशन थेरपीस्ट, गट-क-१ |
| | | | | २९) मदतनीस -१ |
| | | | | एकूण पर्दे - ५० |
| एकूण २ | | २२४७ | १९२३ | 328 |